



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2019/अग्रहायण 25, 1941
No. 725] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2019/AGRAHAYANA 25, 1941

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 932(अ).—राष्ट्रपति, एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ग" तथा समूह "घ" भर्ती नियम 2007 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड -III के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (आशुलिपिक ग्रेड -II) भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2.) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं, आदि** - पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता** :- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-II	15* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स रूप में 25500 -81100 में लेवल - 4	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। (ii) दक्षता परीक्षा मानक: श्रुतलेख: 10 मिनट की अवधि @ 80 शब्द प्रति मिनट लिप्यंतरण : कम्प्यूटर पर 50 मिनट(अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के उन कार्मिकों द्वारा भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों और स्तंभ (7) में सीधे भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे: (1) उप निदेशक(प्रशासन), - अध्यक्ष; (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य ; (3) गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग से अवर सचिव स्तर के अधिकारी - सदस्य.	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12014/36/2017-एन.सी.बी.-II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(NARCOTICS CONTROL BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

G.S.R. 932(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau) Group 'C' and Group 'D' posts, Recruitment Rules, 2007, insofar as they relate to the post of Stenographer Grade III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	15*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100/-	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation- absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription:50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computer	Not applicable	Two years	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation-absorption, grades from which promotion or deputation-absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of : (1) Deputy Director (Administration)—Chairperson; (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau-Member; (3) An officer of the level of Under Secretary from any department other than Narcotics Control Bureau of the Ministry of Home Affairs- Member.	Not applicable.

[F. No. I-12014/36/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.